

कार्यवृत्त

शुक्रवार, 17 अग्रहायण, शक संवत्, 1939

(दिनांक : 08 दिसम्बर, 2017)

खण्ड-49
अंक-2

विधान सभा की कार्यवाही सभा मण्डप, गैरसैण में श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में 11:00 बजे आरम्भ हुई।

मा0 सदस्य श्री प्रीतम सिंह ने नियम 310 के अन्तर्गत प्रदेश में कानून व्यवस्था विषयक सूचना लिए जाने पर बल दिया। श्री अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल होने दें। इस पर नेता प्रतिपक्ष तथा विपक्ष के अन्य सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर उक्त सूचना को लिए जाने हेतु जोर जोर से अपनी बात कहने लगे जिससे व्यवधान होने लगा। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा की उक्त सूचना नियम 310 की परिधि में नहीं आती हैं, अतः अस्वीकार्य है। विपक्ष के सदस्य अपनी बात जोर जोर से कहते हुए सदन के 'वेल' में आ गये। जिससे घोर व्यवधान होने लगा। श्री अध्यक्ष ने कहा कि वे उक्त सूचना को नियम-58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन लेंगे।

प्रश्न पूछे गए और उत्तर दिए गए।

11 बजकर 50 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।

12 बजकर 10 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-300 के अन्तर्गत 20 सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं। वे इनमें से 7 सूचनाएँ स्वीकार कर रहे हैं। मा0 सदस्य काजी निजामुद्दीन ने सभी सूचनाओं को लिए जाने का आग्रह किया जिस पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि सभी सूचनाएँ ध्यानाकर्षण के लिए स्वीकार की जाती है और सभी सूचनाएँ पढ़ी हुई मानी जाएगी। निम्न सूचनायें पढ़ी हुई मानी गई:-

- 1 श्री गोपाल सिंह रावत मेडिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी से पास आउट छात्र-छात्राओं को डिग्री न मिलने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
- 2 श्री उमेश शर्मा 'काऊ' शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत नगर निगम देहरादून की वांछित सूचनाएँ उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।
- 3 श्री प्रीतम सिंह पंवार टिहरी बाँध निर्माण के कारण विकास खण्ड थौलधार के ग्राम पंचायत डोभन के पूर्ण विस्थापित परिवारों की आर0एल0 835 के बाहर छूटी सम्पत्ति के भुगतान न होने के सम्बन्ध में।
- 4 श्री राजकुमार सरकार की कमजोर नीति एवं अधिकारियों की लापरवाही से उत्तराखण्ड के 13175 शिक्षकों के भविष्य के सम्बन्ध में।
- 5 श्री देशराज कर्णवाल बैकलॉग के पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में।
- 6 श्री प्रदीप बत्रा रुड़की में मल्टी लेवल पार्किंग बनाए जाने के सम्बन्ध में।
- 7 श्री सुरेन्द्र सिंह जीना अल्मोड़ा में स्वीकृत तहसील स्याल्दे का भवन निर्माण न किए जाने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।
- 8 श्री बिशन सिंह जनपद पिथौरागढ़ के देवलथल में स्थापित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के संचालित किए जाने के सम्बन्ध में।
- 9 श्री कैलाश चन्द्र गहतोड़ी चम्पावत विधान सभा के टनकपुर में बस वर्कशाप को केन्द्रीय कार्यशाला में परिवर्तित न होने के सम्बन्ध में।
- 10 श्री चन्दन राम दास विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर में संचालित चाय उत्पादन फैक्ट्री के बन्द पड़े होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

11. श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट जनपद चमोली के अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़ी जाति के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति न मिलने के सम्बन्ध में।
12. श्री शक्ति लाल शाह विधान सभा क्षेत्र घनसाली के अन्तर्गत रा0पालीटैक्निक कालेज व होटल मैनेजमेंट इन्स्टीट्यूट खोलने के सम्बन्ध में।
13. श्री धन सिंह नेगी विधान सभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत टिहरी झील के पास घाटों का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।
14. श्री मुकेश कोली पौड़ी बाजार में कूड़ा निस्तारण न होने के सम्बन्ध में।
15. श्री बलवन्त सिंह भौर्याल विधान सभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना लीती फेज-2 गोगीना कीमू से विद्युत उत्पादन प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में।
16. श्री राम सिंह कैंडा विधान सभा क्षेत्र भीमताल के ओखलकाण्डा ब्लाक में पालीटैक्निक कॉलेज खोले जाने के सम्बन्ध में।
17. श्री विनोद कण्डारी विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के स्थान माल्डा विकास खण्ड हिण्डोलाखाल में एन0सी0सी0 निदेशालय खोले जाने के सम्बन्ध में।
18. श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के रा0प्रा0 विद्यालय लंगासू विकास खण्ड कर्णप्रयाग की सुश्री शशि कण्डवाल, प्रधान अध्यापिक को बिना जाँच के निलम्बित किए जाने के सम्बन्ध में।
19. काजी मौ0 निजामुद्दीन राज्य में सरकारी अस्पतालों में एंटी रेबीज इंजेक्शन न होने के सम्बन्ध में।
20. श्री गणेश जोशी विधान सभा क्षेत्र मसूरी के सुवाखोली में विद्युत सब-स्टेशन न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम-डेलना में तालाब के पानी की निकासी के सम्बन्ध में" श्री योगेश, ग्राम-डेलना, पो0-झबरेड़ा, जिला हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र झबरेड़ा के माधोपुर से सरकड़ी ताहपुर सड़क निर्माण की धनराशि भगवानपुर में खर्च करने के कारण माधोपुर सरकड़ी ताहपुर सड़क निर्माण कार्य न होने के सम्बन्ध में " श्री मांगेराम, ग्राम-माधोपुर, पो0-सालियर, जिला हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के अन्तर्गत ग्राम-लाठरदेवा शेख में सी0सी0 सड़क निर्माण के सम्बन्ध में" श्री शहनवाज, ग्राम-लाठरदेवा शेख, जिला हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के अन्तर्गत ग्राम-रहीमपुर, की आन्तरिक सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में" श्री ईलमचन्द, ग्राम-रहीमपुर, जिला हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद टिहरी गढ़वाल के टिहरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नई टिहरी शहर स्थित नियत प्राधिकरण विनियमित क्षेत्र में रिक्त पद को भरे

जाने के सम्बन्ध में" श्री डी0 डी0 नौटियाल, जे ब्लाक, नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद टिहरी गढ़वाल के टिहरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बौराड़ी स्टेडियम के विस्तारीकरण में व्यय हुई धनराशि के सही तरह से उपयोग न किए जाने के सम्बन्ध में "श्री सुन्दर सिंह रावत, बी-9/7डी बौराड़ी, टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम-नन्हेड़ा अनन्तपुर में श्यामलाल त्यागी के खेत से राजकुमार त्यागी के खेत तक 02 किमी0 सड़क निर्माण के सम्बन्ध में" श्री विरेन्द्र त्यागी, ग्राम-नन्हेड़ा अनन्तपुर, पो0-इकबालपुर, जिला हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम-लखनौता में आन्तरिक सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में" श्री हरिदास, ग्राम-व पो0-लखनौता, जिला हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम-बसवाखेड़ी में आन्तरिक सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में "श्री गोपाल, ग्राम-व पो0-बसवाखेड़ी, जिला हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम-सुसाड़ी कला में आन्तरिक सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में "श्री शिवकुमार, ग्राम-सुसाड़ी कला, पो0-मकदूमपुर, जिला हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम-शीतलपुर में आन्तरिक सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में "श्री मनव्वर, ग्राम व पो0 शीतलपुर, जिला हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम-तांशीपुर में ब्रिजेश त्यागी के मकान से राजवाहे के पुल तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में" श्री सुधीर त्यागी, ग्राम-तांशीपुर, पो0-मंगलौर, जिला हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम-सफरपुर में आन्तरिक सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में" श्री प्रवीन, ग्राम व पो0-सफरपुर, जिला हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम-नन्हेड़ा अनन्तपुर में आन्तरिक सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में" श्री विरेन्द्र त्यागी, ग्राम-नन्हेड़ा अनन्तपुर, पो0-इकबालपुर, जिला हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम-सलेमपुर में पंचायत घर से शमशान घाट तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में" श्री नवनीत सैनी, ग्राम-सलेमपुर राजपुताना, पो0-रूड़की, जिला हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम देवपुर में मदनपाल के मकान से तालाब तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में" श्री तेजपाल ग्राम व पोस्ट देवपुर हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पनियाला चंदापुर में आन्तरिक सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में" श्री प्रताप, ग्राम पनियाला पो0 रूड़की हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम मुण्डयाकी में जू0 हाईस्कूल का भवन निर्माण एवं उच्चीकरण के सम्बन्ध में" श्री आदर्श मोहन शर्मा, ग्राम मुण्डयाकी पोस्ट मंगलौर जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के नगर पंचायत झबरेड़ा के तेलियान मौहल्ले में बारातघर के निर्माण के सम्बन्ध में" श्री विश्वनाथ सैनी, ग्राम व पोस्ट झबरेड़ा जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम मुण्डयाकी में पानी की निकासी के लिए नाला निर्माण के सम्बन्ध में" श्री आदर्श मोहन शर्मा, ग्राम मुण्डयाकी, पोस्ट मंगलौर जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम मुण्डयाकी के नजदीक हाईवे न0 58 पर बस स्टाप बनवाने के सम्बन्ध में" श्री आदर्श मोहन शर्मा, ग्राम मुण्डयाकी, पोस्ट मंगलौर जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

नेता प्रतिपक्ष ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुये कहा कि आज की कार्यसूची में एक ही सदस्य की लगभग 70 याचिकाएँ प्रस्तुत हुई हैं। सदन में लोक हित के विषयों को उठाए जाने हेतु सभी मा0 सदस्यों को उपलब्ध अवसरों की संख्या में समरूपता होनी चाहिए। उन्होंने पीठ से एक सदस्य द्वारा दिए जाने वाली याचिकाओं की संख्या सीमित करने पर विचार करने का अनुरोध किया।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत "जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम ठकसा के शमशान घाट की चारदीवारी के निर्माण के सम्बन्ध में" श्री शिवराज शर्मा, ग्राम ठकसा, पोस्ट मंगलौर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत "जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम कोटवाल आलमपुर में बिरम के खेत से भरत सिंह के खेत तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में" डा0 तेजपाल, ग्राम कोटवाल आलमपुर हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत "जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम मुण्डयाकी की आन्तरिक गलियों में सड़क निर्माण कराने के सम्बन्ध में" श्री आदर्श मोहन शर्मा, ग्राम मुण्डयाकी पो0 मंगलौर जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत "जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम दहियाकी की आन्तरिक गलियों में सड़क निर्माण कराने के सम्बन्ध में" श्री सतेन्द्र कुमार, ग्राम दहियाकी पोस्ट गुरुकुल नारमन हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत "जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम लाठरदेवा शेख के रा0प्रा0 विद्यालय व रा0जू0 हाईस्कूल की चारदीवारी के निर्माण के सम्बन्ध में" श्री बबलू, ग्राम लाठर देवा शेख पोस्ट खास एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत "जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सलेमपुर राजपुताना में भूमिया खेड़े से जिन्दल फैक्ट्री व ब्लॉक तक नाला निर्माण कराने के सम्बन्ध में" श्री अनूप सैनी, ग्राम सलेमपुर राजपुताना एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत "जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के कृष्णानगर, प्रेमनगर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण के सम्बन्ध में" श्री घनश्याम सैनी, कृष्णानगर प्रेमनगर पोस्ट रूड़की एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत "जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम माधोपुर के शमशान घाट की चारदीवार निर्माण के सम्बन्ध में" श्री बाल किशन, ग्राम माधोपुर पोस्ट खास एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत "जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम ठसका की आन्तरिक गलियों में सड़क निर्माण के सम्बन्ध में" श्री शिवराज शर्मा, ग्राम ठसका पोस्ट मंगलौर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

नेता प्रतिपक्ष द्वारा याचिकाओं से सम्बन्धित उठाए गए व्यवस्था के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष ने उक्त विषय को नियम समिति को सन्दर्भित करने का निदेश दिया और कहा कि कार्यसूची में अंकित शेष सभी याचिकाएँ पढ़ी हुई एवं प्रस्तुत की गई मानी जाए।

निम्न याचिकाएँ पढ़ी हुई एवं प्रस्तुत की गई मानी गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत "जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सैदपुरा में नहर की पटरी से कल्याण के मकान की ओर 400X3 मी0 सड़क निर्माण के सम्बन्ध में" श्री प्रदीप त्यागी, ग्राम सैदपुरा पोस्ट मंगलौर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत "जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम झबीरन जट की आन्तरिक गलियों में सड़क निर्माण कराने के सम्बन्ध में" श्री जयपाल तोमर, ग्राम झबीरन जट पोस्ट मंगलौर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत "जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के नगला एमाद की आन्तरिक गलियों में सड़क निर्माण कराने के सम्बन्ध में" श्री मोहल्लड सैनी, ग्राम नगला एमाद एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत "जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम उदलहेडी की आन्तरिक गलियों में सड़क निर्माण कराने के सम्बन्ध में" श्री सूर्यवीर मलिक, ग्राम उदलहेडी पोस्ट मंगलौर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत "जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम मुण्डेट में बारात घर की चारदीवारी निर्माण कराने के सम्बन्ध में" श्री आयुष त्यागी, ग्राम मुण्डेट एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत "जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम खड़खड़ी दयाला में राजकीय उप पशु चिकित्सालय का निर्माण व संचालन करने के सम्बन्ध में" श्री सुरेश पुत्र श्री दिलेराम, ग्राम खड़खड़ी दयाला एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा "जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम डेलना में कटार सिंह के मकान से हाईस्कूल तक लगभग 1000 मी0 सड़क निर्माण कराने के सम्बन्ध में" श्री योगेश कुमार पुत्र नरेश कुमार, ग्राम डेलना झबरेड़ा एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत "जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम शेरपुर खेलमऊ में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र का निर्माण व संचालन करने के सम्बन्ध में" श्री मनोज चौधरी पुत्र इकबाल सिंह, ग्राम शेरपुर खेलमऊ एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत "जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम भिस्तीपुर में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण व संचालन करने के सम्बन्ध में" श्री सुखपाल सिंह पुत्र धर्म सिंह, ग्राम भिस्तीपुर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत "जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सलेमपुर में प्राचीन तालाब की पेंचिंग व सुरक्षित करने के सम्बन्ध में" श्री नवनीत सैनी, ग्राम श्लेमपुर राजपुताना एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत "जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम गदरजुड्डा में पुल का चौड़ीकरण कराने के सम्बन्ध में" श्री सुबोध शर्मा, ग्राम गदरजुड्डा पोस्ट मंगलौर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत "जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम डेलना में बाईपास से पश्चिम दिशा की ओर विश्वास की ट्यूबवैल तक 500X3 मी0 सड़क निर्माण कराने के सम्बन्ध में" श्री योगेश कुमार पुत्र नरेश कुमार, ग्राम डेलना पो0 झबरेड़ा एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत "जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम शेरपुर खेलमऊ में खेल का मैदान बनवाने के सम्बन्ध में" श्री मनोज चौधरी पुत्र श्री इकबाल सिंह, ग्राम शेरपुर खेलमऊ एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत "जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम शेरपुर खेलमऊ में चकबन्दी व ओसराबन्दी कराने के सम्बन्ध में" श्री मनोज चौधरी पुत्र श्री इकबाल सिंह, ग्राम शेरपुर खेलमऊ एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत "जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम भरतपुर में किशन के मकान से बारात घर तक 600X4 मी0 सड़क निर्माण कराने के सम्बन्ध में" डा0 विजेन्द्र, ग्राम भारतपुर पो0 झबरेड़ा एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत "जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा के ग्राम बन्दाखेड़ी में आन्तरिक सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में" श्री मांगा, ग्राम व पोस्ट बन्दाखेड़ी हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत "जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा के ग्राम साबतवाली में झबरेड़ा इकबालपुर रोड से साबतवाली तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में" श्री श्रवण चौधरी पुत्र श्री मन सिंह, ग्राम सुल्तानपुर साबतवाली एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत "जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा के ग्राम खड़खड़ी दयाला में रा0प्रा0 विद्यालय की चारदीवारी व गेट निर्माण के सम्बन्ध में" श्री सतीश कुमार पुत्र श्री शाब्दी राम, ग्राम खड़खड़ी दयाला एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत "जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा के ग्राम डेलना में रा0 हाईस्कूल में कक्ष निर्माण के सम्बन्ध में" श्री बाबुराम सैनी पुत्र श्री फूल सिंह, ग्राम डेलना पो0 झबरेड़ा एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत "जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा के ग्राम खुण्डेवाली में अकबरपुर मेन सड़क से विक्रम सिंह के मकान तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में" श्री बिरम सिंह पुत्र श्री मान सिंह, ग्राम समसपुर खुण्डेवाली एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत "जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा के ग्राम खुण्डेवाली में तालाब पानी की निकासी व तालाब की खुदाई के सम्बन्ध में" श्री विरम सिंह पुत्र श्री मान सिंह, ग्राम सुमसपुर खुण्डेवाली एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत "जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा के ग्राम हरजौली झोझा में तालाब की पेचिंग के सम्बन्ध में" मौ० मुर्सलीन पुत्र मौ० हासिम, ग्राम हरजौली झोझा एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत "जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा के ग्राम हरजौली झोझा में इकबालपुर रोड से मस्जिद तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में" मौ० मुर्सलीन पुत्र मौ० हासिम, ग्राम हरजौली झोझा एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत "जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा के ग्राम साबतवाली में बारातघर की चारदीवारी व गेट निर्माण के सम्बन्ध में" श्री श्रवण चौधरी पुत्र श्री मन सिंह, ग्राम सुल्तानपुर साबतवाली एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत "जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा के ग्राम सढौला माजरा में तालाब पानी की निकासी व तालाब की खुदाई के सम्बन्ध में" श्री रतीराम पुत्र श्री तुलसी राम, ग्राम सढौला पो० मकड़पुर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत "जनपद हरिद्वार के झबरेड़ा विधान सभा के ग्राम डेलना में तालाब का पुल निर्माण के सम्बन्ध में" श्री राजीव कश्यप पुत्र श्री चाद सिंह, ग्राम डेलना पो० झबरेड़ा एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री मुकेश सिंह कोली, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत "जनपद पौड़ी के विधान सभा क्षेत्र पौड़ी के विकास खण्ड कोट के अन्तर्गत पौड़ी-पथराड़ाखाल -गढ़खेत-दोन्दल मोटर मार्ग के कि०मी० 22 से अनुसूचित जाति ग्राम अटुल विचला तक मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में" श्री भरत लाल, ग्राम बिचला अटुल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री मुकेश सिंह कोली, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत "जनपद पौड़ी के विधान सभा क्षेत्र पौड़ी के विकास खण्ड कोट के सल्डा -कुलासु मोटर मार्ग के कण्डोला बैण्ड से ग्राम पण्डाली व खड़खोला तक नव मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में" श्री हरीश चन्द्र बलूनी एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री मुकेश सिंह कोली, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत "जनपद पौड़ी के विधान सभा क्षेत्र पौड़ी के विकास खण्ड कोट के अन्तर्गत ग्राम कण्डोली के दानीखेत बैण्ड से ग्राम धारी होते हुए ग्राम कोठी में पुण्डल मोटर मार्ग पर मिलान के सम्बन्ध में" श्री चन्द्र सिंह कण्डोला, ग्राम कण्डोला एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री मुकेश सिंह कोली, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत "जनपद पौड़ी के विधान सभा क्षेत्र पौड़ी के विकास खण्ड कोट के अन्तर्गत देहल चौरी-पौड़ी मोटर मार्ग के सुधारीकरण के सम्बन्ध में" श्री शेर सिंह रावत, ग्राम देहल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री मुकेश सिंह कोली, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत "जनपद पौड़ी के विधान सभा क्षेत्र पौड़ी के विकास खण्ड कोट के अन्तर्गत श्रीनगर-देहल चौरी-पौड़ी मोटर मार्ग पर देहलचौरी

से ग्राम देहल तक लिंक मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में" श्री धीरेन्द्र चौहान, ग्राम देहल कण्डार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री मुकेश सिंह कोली, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत "जनपद पौड़ी के विधान सभा क्षेत्र पौड़ी के विकास खण्ड कल्जीखाल के अन्तर्गत धारीखाल-पलासू मोटर मार्ग का बाडियूं तक विस्तारीकरण के सम्बन्ध में" श्री कोतवाल सिंह चौहान, ग्राम पलासू एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री मुकेश सिंह कोली, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत "जनपद पौड़ी के विधान सभा क्षेत्र पौड़ी के विकास खण्ड कोट के ग्राम सेमू, मरगुण, रामपुर, चट्टी आदि राजस्व ग्रामों में 04 कि०मी० दूर प्राकृतिक जलस्रोत से पेयजल पाईप लाइन का निर्माण कराने के सम्बन्ध में" श्री दुर्गा प्रसाद खन्डूड़ी, ग्राम मरगुण सेमलगा एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री मुकेश सिंह कोली, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत "जनपद पौड़ी के विधान सभा क्षेत्र पौड़ी के विकास खण्ड कल्जीखाल के अन्तर्गत ग्राम पुण्डोरी-कलेथ-मंजेड़ा पाइप लाईन के पुर्ननिर्माण के सम्बन्ध में" श्री संजय रावत, ग्राम-पुण्डोरी एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री मुकेश सिंह कोली, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत "जनपद पौड़ी के विकास खण्ड पौड़ी के अन्तर्गत ग्राम पुण्डोरी, चमल्याखाल, सुमेरपुर, ल्वाली बाजार, गहड़ बिचला, कड़कोट, काटुल, के निवासियों के लिए पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण के सम्बन्ध में" श्री महेन्द्र जुयाल, ग्राम-सुमेरपुर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री मुकेश सिंह कोली, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत "जनपद पौड़ी के विधान सभा क्षेत्र पौड़ी के विकास खण्ड कल्जीखाल के अन्तर्गत ग्राम साकिनखेत से बेडगाँव तक नव मोटर-मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में" श्री मातवर सिंह, ग्राम-बेडगाँव एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री मुकेश सिंह कोली, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत "जनपद पौड़ी के विधान सभा क्षेत्र पौड़ी के विकास खण्ड कल्जीखाल के अन्तर्गत ग्राम सुरालगांव में जीर्ण-शीर्ण पेयजल पाईप लाईन के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में" श्री रमेश, ग्राम-सुरालगांव एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री मुकेश सिंह कोली, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत "जनपद पौड़ी के विकास खण्ड पौड़ी के ग्राम पंचायत तमलाग के अन्तर्गत भेकल्यू तोक में निर्मित पेयजल टैंक, फिल्टर का पुनर्निर्माण करवाने के सम्बन्ध में" श्री कमलेश सिंह नेगी, ग्राम-नेग्याणा एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री मुकेश सिंह कोली, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत "जनपद पौड़ी के विकास खण्ड कोट में कादैखाल पम्पिंग पेयजल योजना निर्माण के सम्बन्ध में" श्री सुनील नेगी, ग्राम-सवधरखाल नौगाँव एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री मुकेश सिंह कोली, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत "जनपद पौड़ी के विकास खण्ड कोट के अन्तर्गत ग्राम सभा नकोट गूठ, न्यू बस्ती, नकोट तल्ला, बिलकेदार धनचड़ा, दिगोली एवं अरकणी में पेयजल योजना के सम्बन्ध में" श्रीमती रजनी देवी, ग्राम प्रधान नकोट गूठ, सुनील नेगी, एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत "जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के भिक्यासैण ब्लॉक के अन्तर्गत खेल मैदान के निर्माण के सम्बन्ध में" श्री जीवन सिंह, ग्राम-जैनल, विकास खण्ड-भिक्यासैण, जिला अल्मोड़ा एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत "जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के भिक्यासैण तहसील के अन्तर्गत कृषकों, उद्यमियों व कास्तकारों के विपणन केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में" श्री जीवन सिंह, ग्राम-जैनल, विकास खण्ड-भिक्यासैण, जिला अल्मोड़ा एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत "जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट में स्याल्दे विकास खण्ड के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कालेज गुमटी में इण्टर स्तर पर रिक्त प्रवक्ताओं की नियुक्ति के सम्बन्ध में" श्री प्रताप सिंह मिया अध्यक्ष शिक्षक अभिभावक संघ रा0ई0का0 गुमटी, जिला अल्मोड़ा एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत "उत्तराखण्ड राज्य में बंदरों एवं सुअरों द्वारा खेती के नुकसान की समस्या के स्थायी समाधान के सम्बन्ध में" श्री जगदम्बा बेलवाल, ग्राम व पो0 जडीपानी टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत "जनपद टिहरी में नई टिहरी में बाध विस्थापितों को भूमिधरी अधिकार दिए जाने के सम्बन्ध में" श्री दिनेश डोभाल, डोभाल लाज मण्डल हाडस नई टिहरी एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत "जनपद टिहरी में विकास खण्ड जाखणीधार के अन्तर्गत छेटी मरोडा कपरियाणीसैण मोटर मार्ग टिहरी गढ़वाल के डामरीकरण आवागमन योग्य बनाए जाने के सम्बन्ध में" श्री उदय सिंह रावत, ग्राम काण्डाडांगी, पो0 राधूधार टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत "जनपद टिहरी में नई टिहरी शहर के निवासियों को हनुमन्तराव कमेटी की सिफारिशों के आधार पर निशुल्क पेयजल व रियायती दर पर बिजली न दिये जाने के सम्बन्ध में" श्रीमती रागनी भट्ट बौराडी नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल, एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत "जनपद टिहरी गढ़वाल में विकास खण्ड जाखणीधार के अन्तर्गत टिपरी पम्पिंग योजना टिहरी गढ़वाल द्वारा पानी की नियमित आपूर्ति न होने के सम्बन्ध में" श्रीमती बेबी असवाल, ब्लाक प्रमुख जाखणीधार, टिहरी गढ़वाल, एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत "जनपद टिहरी गढ़वाल में कोटी कालोनी टिहरी में ऐरो, लैण्ड एवं वाटर ऐडवैचर के प्रशिक्षण कोर्स न चलाये जाने के सम्बन्ध में" श्री नितिन कंसवाल, ग्राम मरोडा पो0 कोटी, टिहरी गढ़वाल, एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत "जनपद टिहरी गढ़वाल में विकास खण्ड चम्बा के सिलोगी-गुनोगी मोटर मार्ग पर कार्य प्रारम्भ न किये जाने के सम्बन्ध में" श्री नितिन कंसवाल, ग्राम मरोडा पो0 कोटी, टिहरी गढ़वाल, एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत "जनपद टिहरी गढ़वाल में हाईड्रो इंजीनियरिंग कालेज भागीरथी पुरम में लम्बे समय से पदों के सृजन न होने के सम्बन्ध में" श्री प्यार सिंह कठैत, ग्राम बी0 पुरम, टिहरी गढ़वाल, एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत "जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट में पेयजल पाईप लाईन के पुनः निर्माण के सम्बन्ध में" श्री जगदीश राम ग्राम ऐराड़ी रजवार पोस्ट तुराचौरा, जिला अल्मोड़ा एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत "जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट में ग्राम अछरौना के जुगियाणी पानी स्रोत से अछरौना मल्ला घाटों तक लगभग 2

कि०मी० पेयजल पाईप लाईन के नव निर्माण के सम्बन्ध में" श्री हर सिंह ग्राम अछरौना, पोस्ट अजोली, जिला अल्मोड़ा एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत "जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट में तुराचौरा मोटर मार्ग के मालूखाल से सीली, भैंसोड़ा, भंगोली, ऐराड़ी रजवार तक 15 कि०मी० मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में" श्री हयात सिंह ग्राम भैंसोड़ा पोस्ट तुराचौरा, जिला अल्मोड़ा एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत "जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट में ग्राम सभा बनकोटा में जन मिलन केन्द्र के निर्माण के सम्बन्ध में" श्री पुष्कर सिंह ग्राम बनकोटा पोस्ट मछोड़, जिला अल्मोड़ा एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत "जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट में राजकीय प्राथमिक विद्यालय जालीखान में बृहद मरम्मत हेतु अवशेष धनराशि के सम्बन्ध में" श्री बालम सिंह ग्राम व पोस्ट जालीखान, जिला अल्मोड़ा एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम- हरजौली झोझा में सराफत फकीर के मकान से मौ० इकबाल के मकान तक सड़क निर्माण कराने के सम्बन्ध में" मौ० मुर्सलीन पुत्र श्री हासिम, ग्राम-हरजौली झोझा एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम सरकड़ी-ताहरपुर में मुख्य सड़क का निर्माण कराने के सम्बन्ध में" श्री गय्यूर पुत्र श्री गफूर, ग्राम-सरकड़ी-ताहरपुर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम-पाडली गेंदा में ईदगाह चौराहे से बन्दाखेड़ी तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में" श्री सजरे आलम पुत्र श्री निसार अहमद, ग्राम-पाडली गेंदा, पोस्ट-खाताखेड़ी एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम-पाडली गेंदा में रेलवे फाटक से मदरसे को होती हुई रेडेन्ट स्कूल तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में" श्री शुफियान पुत्र श्री मुस्तफा, ग्राम-पाडली गेंदा, पोस्ट-खाताखेड़ी एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम-पनियाला चन्दापुर में रामकुमार की एस०टी० डी० से शाहपुर-साल्हापुर तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में" श्री चन्द्रपाल पुत्र श्री ऋषिलाल, ग्राम व पोस्ट पनियाला चाँदपुर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम-माजरी समसपुर में सहेन्द्र के मकान से मन्दिर तक सड़क निर्माण कराने के सम्बन्ध में" श्री अमित कुमार पुत्र श्री राजपाल, ग्राम-माजरी समसपुर, पोस्ट-पनियाला एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम-कमेलपुर में पिछले लगभग 30 वर्षों से चकबन्दी न होने के सम्बन्ध में" श्री आनन्द पाल पुत्र श्री कालीराम, ग्राम-कमेलपुर,पो०-सलेमपुर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम-माजरी समसपुर में मैनपाल के घर के सामने पानी की निकासी के लिए

पुलिया या पाईप डालने के सम्बन्ध में" श्री आशू चौधरी पुत्र श्री कबूल सिंह, ग्राम-माजरी समसपुर, एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम-शाहपुर में सर्वज्ञ विद्यालय से मस्जिद तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में" श्री बलजीत पुत्र श्री सुखलाल, ग्राम-शाहपुर साल्हापुर, एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम-भरतपुर में धूमसिंह के मकान के पास होते हुए स्कूल सेक्टर तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में" श्री बिजेन्द्र कुमार पुत्र श्री सोम प्रकाश, ग्राम-भरतपुर पो0 पनियाला, एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम-नौबतपुर मुलेवाला में हिराहैड़ी मैन सड़क से अकबरपुर फाजिलपुर लिंक तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में" श्री ऋषि पाल पुत्र श्री मोहर सिंह, ग्राम-नौबतपुर मूलेवाला पो0 पनियाला, एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम-पनियाला चन्दापुर में दुर्गा मन्दिर से अहसान हलवाई के घर तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में" श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री मेहर सिंह, ग्राम-पनियाला पो0 चन्दापुर, एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र झबरेड़ा के ग्राम-रा0प्रा0 विद्यालय रसूलपुर चारदीवारी व मिट्टी का भराव मुख्य दरवाजा व शौचालय निर्माण कराने के सम्बन्ध में" श्री शमीम पुत्र मौ0 याशीन, ग्राम-रसूलपुर पो0 सलेमपुर, एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ।

श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत "जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के विकास खण्ड जौनपुर में स्थित रमणीक स्थल काण्डाजाख को धनोल्टी इको पार्क की तर्ज पर विकसित करने के सम्बन्ध में" श्री जयपाल सिंह कौरवाण, सदस्य क्षेत्र पंचायत, काण्डाजाख, विकास खण्ड जौनपुर, जिला टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ।

मा0 सदस्य श्री हरीश सिंह ने विशेषाधिकार हनन का प्रश्न उठाते हुए कहा कि उनके विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत प्रतिवर्ष होने वाले जौलजीवी अन्तर्राष्ट्रीय एवं व्यापारिक मेले में उद्घाटन समारोह में आयोजकों द्वारा उनसे अध्यक्षता नहीं कराई गई एवं निमंत्रण पत्र में उनका नाम अन्तिम पंक्ति में अंकित किया गया। इससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुँची है तथा उनके विशेषाधिकार का हनन किया गया है।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि पूर्व में भी इसी प्रकार के प्रकरणों में पीठ द्वारा निर्देश दिए गए हैं। ऐसे प्रकरणों की पुनरावृत्ति न हो इसके लिये सरकार को निर्देशित करता हूँ कि जनप्रतिनिधियों के रूप में मा0 विधायकों को प्रोटोकाल के अनुसार उचित सम्मान एवं सत्कार दिया जाना चाहिए। इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

शहरी विकास मंत्री ने उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगी, जो प्रदान की गई।

शहरी विकास मंत्री ने उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित किया।

कृषि मंत्री ने उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगी, जो प्रदान की गई।

कृषि मंत्री ने उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित किया।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्य-मंत्रणा समिति ने दिनांक 07 दिसम्बर, 2017 की बैठक में दिनांक 08 दिसंबर, 2017 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :-

दिसम्बर 2017

08 शुक्रवार

1- विधायी कार्य -

1. सरदार भगवान सिंह विश्वविद्यालय उत्तराखण्ड विधेयक, 2016 जो कि विधान सभा द्वारा दिनांक 18 नवम्बर, 2016 को पारित किया गया और जो "भारत का संविधान" के अनुच्छेद-200 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल से प्राप्त संदेश सहित विधान सभा के पुनर्विचार हेतु वापस प्राप्त हुआ है पर विचार एवं पारण। (10 मिनट)

2. उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 जो कि विधान सभा द्वारा दिनांक 15 जून, 2017 को पारित किया गया और जो "भारत का संविधान" के अनुच्छेद-200 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल से प्राप्त संदेश सहित विधान सभा के पुनर्विचार हेतु वापस प्राप्त हुआ है पर विचार एवं पारण। (10 मिनट)

3. उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन सेवा-शर्त) विधेयक, 2017 पर विचार एवं पारण। (10मिनट)

4. उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार एवं पारण। (10 मिनट)

5. उत्तराखण्ड चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार एवं पारण।(10 मिनट)

6. सराय अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2017 पर विचार एवं पारण। (10 मिनट)

7. उत्तराखण्ड आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) विधेयक, 2017 पर विचार एवं पारण। (10 मिनट)

8. उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार एवं पारण। (10 मिनट)

9. उत्तराखण्ड (उ0प्र0संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार एवं पारण। (10 मिनट)

10. उत्तराखण्ड विनियोग (2017-2018 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2017 पर पुरःस्थापन, विचार एवं पारण।

3. निम्नलिखित संकल्पों का प्रस्तुतीकरण

1. श्री प्रीतम सिंह पंवार "देहरादून-मसूरी-सुवाखोली-अलमस-भवान-नगुण मोटर मार्ग को नगुण तक तथा देहरादून-मसूरी-कैम्टीफॉल-यमुनापुल-नौगाँव-बड़कोट-जानकीचट्टी मोटर मार्ग को ऑल वैदर रोड परियोजना में सम्मिलित किए जाए।"

2. श्री धन सिंह नेगी "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य में सड़क दुर्घटनाओं व दैवीय आपदा से मारे गए लोगों के

आश्रितों को एकमुश्त एक समान धनराशि का प्राविधान होना चाहिए।”

4. नियम 105 के प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण

1. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना “यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा में अन्य प्रदेशों की भाँति उत्तराखण्ड के निवासियों की सहभागिता बढ़ाने के लिए प्रदेशवासियों को यह यात्रा निःशुल्क कराने पर विचार किया जाए।”

2. श्री प्रीतम सिंह पंवार “यह सदन भारत सरकार से प्रस्ताव करता है कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए।”

5. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा दिनांक 12 जून, 2017 को प्रस्तुत नियम-105 के प्रस्ताव पर चर्चा:-

“गंगा नदी के जल की स्वच्छता अभियान की भाँति प्रदेश की सभी नदियों का स्वच्छता अभियान स्वीकृत किया जाए, एवं नदियों में निरन्तर प्रवाह बनाए रखने के लिए नदियों को आपस में जोड़ा जाए।”

6. विगत सत्र के असरकारी संकल्पों पर चर्चा

1. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, “इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत जनसंख्या सम्बन्धी मानकों में और अधिक शिथिलता प्रदान करते हुए, प्रदेश के प्रत्येक गाँव/तोकों को सड़क मार्ग से जोड़ा जाए।”

2. श्री चन्दन राम दास, “इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य शराब व व्यसन मुक्त हो तभी देवभूमि की कल्पना साकार होगी।”

3. श्री शक्ति लाल शाह, “इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत अवस्थित भिलंगना विकास खण्ड की विषम भौगोलिक स्थिति के दृष्टिगत विकास खण्ड का पुनर्गठन कर पृथक् से एक नया “बाल गंगा विकास खण्ड” बनाये जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाए।”

4. श्री भरत सिंह चौधरी, “इस सदन का सुनिश्चित मत है कि लोक निर्माण विभाग के कोर नेटवर्क में राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के आलोक में केन्द्र सरकार से संशोधन का निवेदन किया जाए।”

7. विगत सत्र के नियम-54 की सूचना पर चर्चा

1. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, “प्रदेश में विशेषतः उत्तर प्रदेश की भाँति किसानों का ऋण माफ कर दिया जाए।”

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना मा0 अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से यह सदन सहमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-58 के अन्तर्गत 08 सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं वे इनमें 05 सूचनाएँ ग्राह्यता पर सुन लेंगे। शेष सूचनाएँ अस्वीकार हुईं।

विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ में पवित्र धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ के लिए श्री बद्रीनाथ, केदारनाथ मन्दिर समिति होते हुए भी प्रबन्धन कार्य हेतु ट्रस्ट बनाने के सम्बन्ध में नियम-58 के

अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मा0 सदस्य विधान सभा श्री मनोज रावत ने विचार व्यक्त किए। पर्यटन मंत्री को सुनने के पश्चात श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

श्री गिरधारी लाल साहू द्वारा कथित रूप से श्रीलंका के कोलम्बो स्थित श्रीलंका अस्पताल लेजाकर धोखे से श्री नरेश गंगवार की किडनी निकाले जाने के सम्बन्ध में नियम-58 की सूचना पर मा0 सदस्य, श्री करन माहरा ने विचार व्यक्त किए। मत्स्य विकास मंत्री श्रीमती रेखा आर्य ने अपनी बात रखनी प्रारम्भ की जिस पर नेता प्रतिपक्ष एवं विपक्ष के अन्य मा0 सदस्यों ने विरोध करते हुए जोर जोर से अपनी बात कहने लगे जिस से घोर व्यवधान होने लगा। श्री अध्यक्ष ने सदस्यों से अपना स्थान ग्रहण करने के लिए कहा परन्तु विपक्ष के सदस्य अपनी बात पर अड़े रहें।

मत्स्य विकास मंत्री ने अनुरोध किया कि उन्हें इस पर बोलने का अवसर मिलना चाहिए विपक्ष के सदस्यों ने ये कहते हुए विरोध किया कि वे इस प्रकरण में एक पक्ष से जुड़ी हैं। अतः इस सूचना पर उनके स्थान पर सरकार का जवाब आना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर सरकार का कोई भी मंत्री इसका जवाब दे सकता है। नेता प्रतिपक्ष सहित विपक्ष के सभी मा0 सदस्य 'वेल' में आकर जोर जोर से अपनी बात कहने लगे तथा जोर जोर से नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान होने लगा।

श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 1 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही 3 बजे तक स्थगित की।

सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में अपराह्न 3 बजे पुनः प्रारम्भ हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने नियम 58 के अन्तर्गत श्री करन माहरा द्वारा दी गई सूचना का उत्तर दिया श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को आग्राह्य किया।

विधान सभा क्षेत्र जसपुर में अस्थायी रोडवेज स्टेशन में नियुक्त दो कर्मचारियों द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को रु 6000 के मासिक वेतन पर रख दिये जाने की सिकायत के उपरान्त भी उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही न कर उन्हें उक्त स्थान पर पुनः तैनात किए जाने के सम्बन्ध में नियम-58 की सूचना पर मा0 सदस्य श्री आदेश चौहान ने विचार व्यक्त किए परिवहन मंत्री को सुनने के पश्चात उक्त सूचना आग्राह्य हुई।

प्रदेश में बिक रहे निम्न गुणवत्ता के हेलमेट की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाकर केवल आई0 एस0 आई0 के हेलमेटों की बिक्री की अनुमति ही दिए जाने के सम्बन्ध में नियम-58 की सूचना पर मा0 सदस्य श्रीमती ममता राकेश ने विचार व्यक्त किए संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात उक्त सूचना आग्राह्य हुई।

राज्य में भूकम्प के सम्बन्ध में अर्ली वार्निंग सिस्टम तथा राज्य का सिस्मिक माईक्रोजोनेशन न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-58 की सूचना पर मा0 सदस्य काजी मौ0 निजामुद्दीन ने विचार व्यक्त किए संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात उक्त सूचना आग्राह्य हुई।

नेता प्रतिपक्ष, काजी मौ0 निजामुद्दीन एवं श्री मनोज रावत ने नियम-310 परिवर्तित नियम-58 के अन्तर्गत प्रदेश में बेरोजगारी एवं महगाई की मार से प्रदेश की जनता के त्रस्त होने के सम्बन्ध में दी गई सूचना पर विचार व्यक्त किया। संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तर भाषण से सन्तुष्ट न होने पर नेता प्रतिपक्ष सहित विपक्ष के अन्य सदस्यों ने सदन का बहिर्गमन किया। संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात उक्त सूचना आग्राह्य हुई।

मा0 सदस्य श्री प्रीतम सिंह, श्री हरीश सिंह, श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल एवं श्री करन माहरा ने नियम-310 परिवर्तित नियम-58 के अन्तर्गत प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त होने के सम्बन्ध में दी गई सूचना पर विचार व्यक्त किए संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात उक्त सूचना आग्राह्य हुई।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्य-मंत्रणा समिति ने दिनांक 08 दिसंबर, 2017 की बैठक में दिनांक 08 दिसंबर, 2017 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :-

दिसम्बर 2017

08 शुक्रवार

1- विधायी कार्य -

(1) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार एवं पारण। (10 मिनट)

शेष कार्यक्रम यथावत्।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना मा0 अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से यह सदन सहमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड प्रदेश नैसर्गिक सौन्दर्य से परिपूर्ण प्रदेश है जहाँ प्रकृति ने अतुलनीय पर्यावरणीय विशेषताओं का आशीष प्रदान किया है। प्रदेश ने पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आने के पश्चात तीव्र गति से विकास किया है किन्तु पर्यावरणीय संतुलन के परिप्रेक्ष्य में कतिपय चुनौतियां भी उत्पन्न हुई हैं। इन चुनौतियों के समाधान हेतु प्रदेश ने समय-समय पर अनेक उपाय एवं परियोजनाएं प्रारम्भ की हैं। पर्यावरण संरक्षण से सम्बन्धित चुनौतियों, समाधान एवं आनुषांगिक विषयों के प्रभावी पर्यवेक्षण, अध्ययन एवं अनुश्रवण के लिये प्रस्ताव है कि विधान सभा की एक सात सदस्यीय पर्यावरणीय संरक्षण एवं आनुषांगिक विषयों से सम्बन्धित एक समिति का गठन किया जाए। यह भी प्रस्ताव है कि यह सदन उक्त समिति में सदस्यों के नाम निर्देशन हेतु मा0 अध्यक्ष विधान सभा को अधिकृत करता है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि वर्ष 2000 में पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आने के पश्चात उत्तराखण्ड प्रदेश में विकास चक्र के आगे बढ़ने के साथ-साथ प्रदेश में विशेषकर पर्वतीय जिलों से बड़ी संख्या में पलायन हुआ है। प्रदेश की संवेदनशील, सामरिक भौगोलिक स्थिति, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, जैव संतुलन एवं सम्यक् जन सांख्यिक वितरण के दृष्टिगत यह एक बड़ी चुनौती है। अतः प्रस्ताव है कि प्रदेश में पलायन के समाधान, इस हेतु किए जा रहे विभिन्न कार्यों के प्रभावी अनुशीलन एवं अनुश्रवण तथा आनुषांगिक विषयों से सम्बन्धित विधान सभा की एक सात सदस्यीय समिति का गठन किया जाए। यह भी प्रस्ताव है कि यह सदन उक्त समिति में सदस्यों के नाम निर्देशन हेतु मा0 अध्यक्ष विधान सभा को अधिकृत करता है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सरदार भगवान सिंह विश्वविद्यालय उत्तराखण्ड विधेयक, 2016 जो कि विधान सभा द्वारा दिनांक 18 नवम्बर, 2016 को पारित किया गया और जो "भारत का संविधान" के अनुच्छेद-200 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल से प्राप्त संदेश सहित विधान सभा के पुनर्विचार हेतु वापस प्राप्त हुआ है, पर विचार किया जाए। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार प्रारम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-53 , खण्ड-1, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग बन गये।

उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सरदार भगवान सिंह विश्वविद्यालय उत्तराखण्ड विधेयक, 2016 जो कि विधान सभा द्वारा दिनांक 18 नवम्बर, 2016 को पारित किया गया और जो "भारत का संविधान" के अनुच्छेद-200 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल से प्राप्त संदेश सहित विधान सभा के पुनर्विचार हेतु वापस प्राप्त हुआ है, यथा संसोधित पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

4 बजकर 30 मिनट पर मा0 उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 जो कि विधान सभा द्वारा दिनांक 15 जून, 2017 को पारित किया गया और जो "भारत का संविधान" के अनुच्छेद-200 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल से प्राप्त संदेश सहित विधान सभा के पुनर्विचार हेतु वापस प्राप्त हुआ है, पर यथा संशोधनों सहित विचार किया जाए प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार प्रारम्भ हुआ

खण्ड-2 से, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग बन गए।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 जो कि विधान सभा द्वारा दिनांक 15 जून, 2017 को पारित किया गया और जो "भारत का संविधान" के अनुच्छेद-200 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल से प्राप्त संदेश सहित विधान सभा के पुनर्विचार हेतु वापस प्राप्त हुआ है, यथा संशोधित पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रम, सेवायोजन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन सेवा-शर्त) विधेयक, 2017 पर विचार किया जाए। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार प्रारम्भ हुआ

खण्ड-2 से खण्ड-30, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग बन गए।

श्रम, सेवायोजन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन सेवा-शर्त) विधेयक, 2017 पारित किया जाए। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार प्रारम्भ हुआ

खण्ड-2 से खण्ड-3, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग बन गये।

अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2017 पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2017 पारित किया जाए। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार प्रारम्भ हुआ

खण्ड-2 से खण्ड-1, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग बन गए।

पर्यटन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सराय अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2017 पर विचार किया जाए। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार प्रारम्भ हुआ

खण्ड-2 से खण्ड-1, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग बन गये।

पर्यटन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सराय अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2017 पारित किया जाए। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) विधेयक, 2017 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार प्रारम्भ हुआ

खण्ड-2 से खण्ड-9, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग बन गए।

मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) विधेयक, 2017 पारित किया जाए। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार प्रारम्भ हुआ

खण्ड-2 से खण्ड-9 खण्ड-1, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग बन गए।

मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2017 पारित किया जाए। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

आबकारी मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड (उ0प्र0संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार किया जाए। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार प्रारम्भ हुआ

खण्ड-2 से खण्ड-3, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग बन गए।

आबकारी मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड (उ0प्र0संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (संशोधन) विधेयक, 2017 पारित किया जाए। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

5.00 बजे मा0 अध्यक्ष पीठासीन हुए।

शहरी विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार किया जाए। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मा0 सदस्य श्री विनोद चमोली ने संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार प्रारम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-3, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग बन गए।

शहरी विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2017 यथा संशोधित पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

वित्तीय वर्ष 2017-2018 की निम्नलिखित अनुपूरक अनुदानों के लिए माँग के प्रस्ताव सम्बन्धित मा0 मंत्रीगणों द्वारा प्रस्तुत किए गए और उनके अधीन माँगी गई धन राशियाँ स्वीकृत की गईं:-

- (1) अनुदान संख्या-01 विधान सभा के अन्तर्गत **रु0 167300 हजार (सोलह करोड़ तिहत्तर लाख) रुपये** की अनुपूरक माँग।
- (2) अनुदान संख्या-03 मंत्रि-परिषद के अन्तर्गत **रु0 206399 हजार (बीस करोड़ तिरसठ लाख निन्यानवे हजार) रुपये** की अनुपूरक माँग।
- (3) अनुदान संख्या-04 न्याय प्रशासन के अन्तर्गत **रु0 111774 हजार (ग्यारह करोड़ सत्रह लाख चौहत्तर हजार) रुपये** की अनुपूरक माँग।
- (4) अनुदान संख्या-05 निर्वाचन के अन्तर्गत **रु0 5500 हजार (पचपन लाख) रुपये** की अनुपूरक माँग।

- (5) अनुदान संख्या-06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत रू0 400240 हजार (चालीस करोड़ दो लाख चालीस हजार) रुपये की अनुपूरक माँग।
- (6) अनुदान संख्या-07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें के अन्तर्गत रू0 6919459 हजार (छः सौ इक्यानवे करोड़ चौरानवे लाख उनसठ हजार) रुपये की अनुपूरक माँग।
- (7) अनुदान संख्या-08 आबकारी के अन्तर्गत रू0 23700 हजार (दो करोड़ सैतीस लाख) रुपये की अनुपूरक माँग।
- (8) अनुदान संख्या-10 पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत रू0 1569848 हजार (एक सौ छपन करोड़ अठठानवे लाख अड़तालीस हजार) रुपये की अनुपूरक माँग।
- (9) अनुदान संख्या-11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत रू0 3138605 हजार (तीन सौ तेरह करोड़ छियासी लाख पाँच हजार) रुपये की अनुपूरक माँग।
- (10) अनुदान संख्या-12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत रू0 1745802 हजार (एक सौ चौहत्तर करोड़ अठठान लाख दो हजार) रुपये की अनुपूरक माँग।
- (11) अनुदान संख्या-13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत रू0 2919100 हजार (दो सौ इक्यानवे करोड़ इक्यानवे लाख) रुपये की अनुपूरक माँग।
- (12) अनुदान संख्या-14 सूचना के अन्तर्गत रू0 70921 हजार (सात करोड़ नौ लाख इक्कीस हजार) रुपये की अनुपूरक माँग।
- (13) अनुदान संख्या-15 कल्याण योजनाएं के अन्तर्गत रू0 1217793 हजार (एक सौ इक्कीस करोड़ सतहत्तर लाख तिरानवे हजार) रुपये की अनुपूरक माँग।
- (14) अनुदान संख्या-16 श्रम और रोजगार के अन्तर्गत रू0 483220 हजार (अड़तालीस करोड़ बत्तीस लाख बीस हजार) रुपये की अनुपूरक माँग।
- (15) अनुदान संख्या-17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान के अन्तर्गत रू0 1977986 हजार (एक सौ सतानवे करोड़ उन्यासी लाख छियासी हजार) रुपये की अनुपूरक माँग।
- (16) अनुदान संख्या-18 सहकारिता के अन्तर्गत रू0 246637 हजार (चौबीस करोड़ छियासठ लाख सैतीस हजार) रुपये की अनुपूरक माँग।
- (17) अनुदान संख्या-19 ग्राम्य विकास के अन्तर्गत रू0 2477857 हजार (दो सौ सैंतालीस करोड़ अठहत्तर लाख सतावन हजार) रुपये की अनुपूरक माँग।
- (18) अनुदान संख्या-20 सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत रू0 107405 हजार (दस करोड़ चौहत्तर लाख पाच हजार) रुपये की अनुपूरक माँग।
- (19) अनुदान संख्या-21 ऊर्जा के अन्तर्गत रू0 140085 हजार (चौदह करोड़ पिचासी हजार) रुपये की अनुपूरक माँग।
- (20) अनुदान संख्या-22 लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत रू0 1383300 हजार (एक सौ अड़तीस करोड़ तैतीस लाख) रुपये की अनुपूरक माँग।
- (21) अनुदान संख्या-23 उद्योग के अन्तर्गत रू0 350677 हजार (पैतीस करोड़ छः लाख सतहत्तर हजार) रुपये की अनुपूरक माँग।
- (22) अनुदान संख्या-24 परिवहन के अन्तर्गत रू0 1272563 हजार (एक सौ सताईस करोड़ पच्चीस लाख तिरसठ हजार) रुपये की अनुपूरक माँग।
- (23) अनुदान संख्या-25 खाद्य के अन्तर्गत रू0 43485 हजार (चार करोड़ चौतीस लाख पिचासी हजार) रुपये की अनुपूरक माँग।

- (24) अनुदान संख्या-26 पर्यटन के अन्तर्गत **रु0 188643 हजार (अठारह करोड़ छियासी लाख तैतालीस हजार)** रुपये की अनुपूरक माँग।
- (25) अनुदान संख्या-27 वन के अन्तर्गत **रु0 120996 हजार (बारह करोड़ नौ लाख छियानवे हजार)** रुपये की अनुपूरक माँग।
- (26) अनुदान संख्या-28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत **रु0 108292 हजार (दस करोड़ बयासी लाख बयानवे हजार)** रुपये की अनुपूरक माँग।
- (27) अनुदान संख्या-29 औद्योगिक विकास के अन्तर्गत **रु0 158224 हजार (पन्द्रह करोड़ बयासी लाख चौबीस हजार)** रुपये की अनुपूरक माँग।
- (28) अनुदान संख्या-30 अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत **रु0 1919336 हजार (एक सौ इक्यानवे करोड़ तिरानवे लाख छत्तीस हजार)** रुपये की अनुपूरक माँग।
- (29) अनुदान संख्या-31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के अन्तर्गत **रु0 575274 हजार (सतावन करोड़ बावन लाख चौहत्तर हजार)** रुपये की अनुपूरक माँग।

वित्त मंत्री ने उत्तराखण्ड विनियोग (2017-2018 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी जो प्रदान की गई।

वित्त मंत्री ने उत्तराखण्ड विनियोग (2017-2018 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2017 को पुरःस्थापित किया।

(विधेयक की प्रतियां वितरित की गई)

वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड विनियोग (2017-2018 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2017 पर विचार किया जाए। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार प्रारम्भ हुआ

खण्ड-2 से खण्ड-3 ,अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग बन गए।

वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विनियोग (2017-2018 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2017 पारित किया जाए। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मा0 सदस्य श्रीमती ऋतु खण्डड़ी भूषण ने भराड़ीसैण गैरसैण में सत्रकाल से इतर अवधि में विधान सभा परिसर तथा अन्य अवस्थापना सुविधाओं का सदपयोग करने हेतु सदन में पारित पूर्व प्रस्ताव के अनुसार यहां एक अन्तर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना पर बल दिया और कहा कि इससे देश विदेश के स्कोलर यहा आएँगे और हमारी संसदीय प्रक्रिया को शिखेंगे इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार पैदा होगा। मा0 सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी ने इस का समर्थन किया।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि गैरसैण विधान सभा परिसर में एक अन्तर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के सम्बन्ध में दिनांक 17 नवम्बर, 2016 के गैरसैण उपवेशन में माननीय सदस्यों ने दलगत परिधि से ऊपर उठकर एक स्वर से इस विषय के प्रस्ताव को अंगीकृत किया। यह वास्तव में अत्यन्त महत्वपूर्ण, महत्वाकांक्षी, बहुउद्देशीय एवं बहुआयामी परियोजना है। इस संस्थान की स्थापना से गैरसैण के अवस्थापना तंत्र के विकास क्रम में विकसित हो रही अवस्थापना तंत्र सुविधाओं का सत्र से इतर अवधि में सकारात्मक, विकासपरक एवं स्थानीय भौगोलिक परिस्थिति के अनुकूलन अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप की परिकल्पना को मूर्त रूप प्राप्त हो सकेगा। यहीं नहीं यह स्थानीय आर्थिकी परिवेश के संवर्द्धन एवं विशिष्ट रूपेण पर्यटन की व्यापक संभावनाओं को धरातलीय स्वरूप प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने में एक प्रभावी उत्प्रेरक अवयव का संवहन कर सकेगा।

वे माननीय सदन की भावनाओं से स्वयं को सम्बद्ध करते हैं तथा उन्हें आशा है कि हम सब मिलकर इस संस्थान को बनाने में अपना योगदान देंगे तथा यह अन्तर्राष्ट्रीय पटल पर मेरे उत्तराखण्ड का नाम रोशन करेगा। इस हेतु उन्हें विश्वास है कि कार्यपालिका का भी पूर्ण सहयोग हमें प्राप्त होगा तथा हम शीघ्रातिशीघ्र इस दिशा में प्रभावी भूमिका एवं कदम उठाना सुनिश्चित करेंगे।

श्री प्रीतम सिंह पंवार ने संकल्प प्रस्तुत किया कि “देहरादून-मसूरी-सुवाखोली-अलमस-भवान-नगुण (उत्तरकाशी) मोटर मार्ग को नगुण तक तथा देहरादून-मसूरी-कैम्पिफॉल-यमुनापुल-नौगांव-बड़कोट-जानकीचट्टी मोटर मार्ग को ऑलवैदर रोड परियोजना में सम्मिलित किये जाये।” श्री अध्यक्ष ने कहा कि चर्चा जारी रहेगी।

श्री धन सिंह नेगी ने संकल्प प्रस्तुत किया कि “इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य में सड़क दुर्घटनाओं व दैवीय आपदा से मारे गए लोगों के आश्रितों को एकमुश्त एक समान धनराशि का प्राविधान होना चाहिए।” श्री अध्यक्ष ने कहा कि चर्चा जारी रहेगी।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि “यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा में अन्य प्रदेशों की भाँति उत्तराखण्ड के निवासियों की सहभागिता बढ़ाने के लिए प्रदेशवासियों को यह यात्रा निःशुल्क कराने पर विचार किया जाए।” श्री अध्यक्ष ने कहा कि चर्चा जारी रहेगी।

श्री प्रीतम सिंह पंवार ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि “यह सदन भारत सरकार से प्रस्ताव करता है कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए।” श्री अध्यक्ष ने कहा कि चर्चा जारी रहेगी।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 09 जून, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत जनसंख्या सम्बन्धी मानकों में और अधिक शिथिलता प्रदान करते हुए, प्रदेश के प्रत्येक गांव/तोकों को सड़क मार्ग से जोड़ा जाए।”

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 09 जून, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य शराब व व्यसन मुक्त हो तभी देवभूमि की कल्पना साकार होगी।”

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री शक्ति लाल शाह, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 09 जून, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत अवस्थित भिलंगना विकास खण्ड की विषम भौगोलिक स्थिति के दृष्टिगत विकास खण्ड का पुनर्गठन कर पृथक से एक नया “बाल गंगा विकास खण्ड” बनाये जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाए।”

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 09 जून, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि लोक निर्माण विभाग के कोर नेटवर्क में राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के आलोक में केन्द्र सरकार से संशोधन का निवेदन किया जाए।”

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 12 जून, 2017 को प्रस्तुत नियम-105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी

“गंगा नदी के जल की स्वच्छता अभियान की भाँति प्रदेश की सभी नदियों का स्वच्छता अभियान स्वीकृत किया जाए, एवं नदियों में निरन्तर प्रवाह बनाये रखने के लिए नदियों को आपस में जोड़ा जाय।”

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 12 जून, 2017 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी रहेगी

“प्रदेश में विशेषतः उत्तर प्रदेश की भाँति किसानों का ऋण माफ कर दिया जाय।”

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-53 के अन्तर्गत कुल 14 सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं। मैं इन सब सूचनाओं को ध्यानाकर्षण के लिए स्वीकार कर रहा हूँ।

जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ में पैंगमोरंडा झूला पुल के निर्माण न होने से व्याप्त जनाक्रोश के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2017 को दी गई सूचना पर मुख्यमंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद पिथौरागढ़ के डीडीहाट क्षेत्र के प्राथमिक पाठशाला बंदरलीमा के भवन के जीर्ण-शीर्ण अवस्था में होने से विद्यार्थियों की शिक्षा बाधित होने के कारण जनता में रोष व्याप्त होने के सम्बन्ध में श्री विशन सिंह चुफाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर 2017 को दी गई सूचना पर शिक्षा मंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि मा0 सदस्य श्री प्रदीप बत्रा द्वारा नियम299 के अन्तर्गत रुड़की में इन्डोर स्टेडियम एवं बासकेट बॉल कोर्ट बनाये जाने के सम्बन्ध में सूचना दी है का विषय औचित्य के प्रश्न की परिधि में नहीं आता है। अतः वे इसे अस्वीकार कर रहे हैं।

6 बजकर 10 मिनट पर सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई।

जगदीश चन्द्र
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,
प्रेमचन्द अग्रवाल
अध्यक्ष,
विधान सभा।